छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पृष्ठां. क्रमांक 17077 /डी.ई./2025 बिलासपुर, दिनांक 22/8/2025

अवर सचिव, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 15/1/2023–पब्लिक भारत सरकार गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग) नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 07.08.2025 **(विषयक :– भारतीय झंडा संहिता, 2002, (2021 एवं 2022) में यथासंशोधित तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमों के कडाई से पालन किये जाने के संबंध में)।** की छायाप्रति (सहपत्रों सहित) :–

1. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**

 1. बालोद 2. बलौदाबाजार 3. बलरामपुर स्थान रामानुजगंज 4. बस्तर (जगदलपुर) 5. बेमेतरा 6. बिलासपुर 7. दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) 8. धमतरी 9. दुर्ग 10. जांजगीर–चांपा 11. जशपुर 12. कबीरधाम (कवर्धा) 13. कोंडागांव 14. कोरबा 15. कोरिया (बैकुण्ठपुर) 16. महासमुंद 17. मुंगेली 18. रायगढ़ 19. रायपुर 20. राजनांदगांव 21. सरगुजा (अंबिकापुर) 22. सूरजपुर 23. उत्तर बस्तर (कांकेर) (छ.ग.),

2. **प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, (कुटुम्ब न्यायालय),**

 1. बालोद 2. बलौदाबाजार 3. बस्तर (जगदलपुर) 4. बेमेतरा 5. बिलासपुर 6. दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) 7. धमतरी 8. दुर्ग 9. जांजगीर–चांपा 10. जशपुर 11. कबीरधाम (कवर्धा) 12. कोंडागांव 13. कोरबा 14. मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर 15. महासमुंद 16. मुंगेली 17. रायगढ 18. रायपुर 19. राजनांदगांव 20. सरगुजा (अंबिकापुर) 21. सूरजपुर 22. उत्तर बस्तर (कांकेर) (छ.ग.),

3. **न्यायाधीश,** कामर्शियल कोर्ट, जिला स्तर नया रायपुर (छ.ग.)।

4. ***रजिस्ट्रार,*** *स्टेट इंडस्ट्रियल कोर्ट, जिला रायपुर (छ.ग.,*

5583
22/8/25

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

22.8.25

(अनिल कुमार पाण्डेय)
रजिस्ट्रार (स्थापना)

तत्काल

संख्या 15/1/2023-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)
* * *

नॉर्थ ब्लॉक ,नई दिल्ली
दिनांक: 05 अगस्त, 2025

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमो के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में-

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित], जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/ध्वजारोहण/संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं। प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की मुख्य दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

2. भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (x) के अनुसार, जनता द्वारा कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।

3. आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक –यथोपरि

कमलेश रबिदास
5.8.25
(कमलेश रबिदास)
अवर सचिव, भारत सरकार

...2/-